राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (103) परि/नियम/मु./2006/पार्ट/23741 जयपुर, दिनांकः– 16/2/17

<u>कार्यालय आदेश संख्या.....7../2017</u>

राज्य के कुल 33 राजस्व जिलों में 51 परिवहन जिलों का विभाग द्वारा गठन किया गया है तथा इन परिवहन जिलों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि परिवहन जिलों के अन्तर्गत ट्रेड सर्टिफिकेट धारी मोटर वाहन डीलरों के क्षेत्राधिकार को लेकर अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों में भ्रम की स्थिति व्याप्त है। परिवहन जिलों के गठन के परिणामस्वरूप ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलरों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश एतत् द्वारा निरस्त किये जाते हैं तथा ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर के क्षेत्राधिकार एवं इस संबंध में संबंधित परिवहन जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों के स्तर पर की जाने कार्यवाही के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. किसी भी डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट उसी परिवहन जिले के लिए मान्य होगा जिस परिवहन जिले के क्षेत्राधिकार में डीलर का व्यवसाय स्थल स्थित है, अर्थात् डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट में वर्णित व्यवसाय स्थल जिस परिवहन जिले के पंजीयन अधिकारी के क्षेत्र में पडता है ऐसा जिला परिवहन अधिकारी ही इस डीलर के लिए मोटर वाहन पंजीयन अधिकारी होगा।
2. किसी भी डीलर द्वारा विक्रय किये गये समस्त ऐसे वाहन जिसमें वाहन क्रेता का पता उसी क्षेत्र में पड़ता है जिस परिवहन जिले हेतु डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट वैध है द्वारा ऐस वाहनों के पंजीयन संबंधी समस्त दस्तावेज उसी पंजीयन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने है जिसके क्षेत्राधिकार में डीलर का व्यवसाय स्थल स्थित है। उदाहरण के लिए कोई ऐसा डीलर जिसके ट्रेड सर्टिफिकेट में वर्णित व्यवसाय स्थल अगर जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा वर्णित है तो डीलर द्वारा ऐसे समस्त विक्रय किये गये वाहन जिसमें वाहन क्रेता का पता जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा का क्षेत्र अंकित है तो ऐसे डीलर द्वारा ऐसे व्यक्ति के पंजीयन संबंधी दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा के यहां प्रस्तुत किये जाने है तथा ऐसे वाहनों का पंजीयन भी जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा द्वारा किया जायेगा।
3. ऐसे प्रकरणों में जहां वाहन क्रेता का पता डीलर के क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित है डीलर द्वारा वाहन क्रेता को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। ऐसे डीलर द्वारा अस्थाई पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रेता के निवास के क्षेत्राधिकार वाले जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। उदाहरणार्थ बिन्दु संख्या 2 में दिये गये प्रकरण में अगर शाहपुरा के डीलर द्वारा वाहन क्रेता को

कोई वाहन बेचा जाता है जिसमें वाहन क्रेता का पता जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा के क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित है तो डीलर द्वारा ऐसे वाहन को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र उस जिला परिवहन अधिकारी हेतु जारी किया जावेगा जिस जिला परिवहन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में वाहन क्रेता का पता अंकित है।

4. ऐसे प्रकरण जहां डीलर को पूर्व में जारी ट्रेड सर्टिफिकेट राजस्व जिले के किसी पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो परन्तु तत्पश्चात ऐसे राजस्व जिले में किसी नवीन परिवहन कार्यालय का गठन हुआ है अथवा भविष्य में गठन किया जाता है तो ऐसे डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट उस परिवहन जिले के लिए ही मान्य/वैध होगा जिस परिवहन जिले के क्षेत्राधिकार में डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट में अंकित पता विद्यमान है। ऐसे डीलर द्वारा बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. बिन्दु संख्या 4 के अधीन आने वाले ऐसे डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट संबंधी समस्त कार्य यथा ट्रेड सर्टिफिकेट का नवीनीकरण, निरस्तीकरण, निलंबन, डुप्लीकेट, समर्पण, कर अवधारण इत्यादि का कार्य नवसृजित परिवहन जिले के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ही संपादित किया जायेगा। परन्तु ऐसे प्रकरणों में डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट अनुक्रमांक को परिवर्तित नहीं किया जाना है।
6. यह भी संभावित है कि उपर वर्णित ऐसे डीलर अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहें हो, ऐसी परिस्थिति में ऐसे डीलरों को वाहनों के पंजीयन हेतु अनुक्रमांको का आवंटन भी उसी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाना है जिस जिला परिवहन अधिकारी के क्षेत्राधिकार हेतु डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट मान्य/वैध है।
7. जिन प्रकरणों में परिवहन जिलों के गठन के परिणामस्वरूप डीलर के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन हो रहा है को उस जिला परिवहन अधिकारी जिसके द्वारा पूर्व में ऐसे डीलर को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया गया है इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस में कर–चुकता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से जारी कर इसकी सूचना उस जिला परिवहन अधिकारी को दी जायेगी जिसके क्षेत्र के लिए अब डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट मान्य है। ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर की पत्रावली भी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के यहां भिजवाई जानी सुनिश्चित की जानी है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार जारी कर–चुकता प्रमाण–पत्र की सूचना 15 दिवस में अपर परिवहन आयुक्त (नियम) की ई–मेल transport.rules@rajasthan.gov.in पर भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।

संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने रीजन में उक्त आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करेगें एवं ऐसे प्रकरण जिनमें डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट अन्य जिला परिवहन कार्यालयों को हस्तानान्तरित किये जाने है की पालना

भी सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पूर्ण रीजन की एकजाही रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 तक ई–मेल transport.rules@rajasthan.gov.in पर भिजवाई जानी सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा दोषी अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। 29742-46
क्रमांकः प.7(103) परि / नियम / मु. / 2006 / पार्ट–। / जयपुर, दिनांकः 16/2/17

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Dealer's Order